पत्रांक–5 / स0भू0 बोकारो (मुकदमा)–86 / 2020 2951 (5) / रा0

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

कमल किशोर सोन,
सरकार के सचिव।

सेवा मे,

सभी अपर मुख्य सचिव / सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव
झारखण्ड।

राँची, दिनांक– 20-10-2020

विषयः– दिनांक–12.10.2020 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सरकारी भूमि के संरक्षण हेतु SOP तैयार करने से संबंधित बैठक की कार्यवाही के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय ज्ञापांक–2912, दिनांक–19.10.2020

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के द्वारा पिण्डराजोरा पुलिस थाना वाद सं0–39 / 2019, GR वाद सं0–731 / 2019 से उद्‌भूत B.A. No.-2818/2020 एवं 2880/2020 में पारित आदेश के आलोक में सरकारी भूमि के संरक्षण हेतु SOP तैयार करने से संबंधित दिनांक–12.10.2020 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही के आलोक में निम्नरूपेण आवश्यक कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है :–

1. विभिन्न विभागों के स्वामित्व की भूमि एवं विभागों के प्रयोजनार्थ अर्जित की गयी रैयती भूमि एवं हस्तांतरित सरकारी भूमि की विवरणी संबंधित उपायुक्तों को उपलब्ध कराया जाय ताकि उपायुक्तों के माध्यम से संबंधित भूमि को प्रतिबंधित सूची में शामिल करते हुए NGDRS वेबसाईट पर अपलोड किया जा सके। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि अर्जित की गयी भूमि का उल्लेख रजिस्टर–II में कर दिया जाय ताकि पूर्व भू–स्वामी के पक्ष में लगान रसीद निर्गत होना बंद किया जा सके।

2. राज्य सरकार के सभी विभागों / निकायों द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि / अर्जित रैयती भूमि एवं हस्तांतरित सरकारी भूमि पर भूमि की सुरक्षा हेतु बोर्ड लगाना सुनिश्चित किया जायेगा, जिसमें भूमि का पूर्ण विवरण हो तथा यह भी उल्लेख हो कि भूमि पर किसी भी प्रकार का अनाधिकृत प्रवेश उपयोग एवं निर्माण प्रतिबंधित होगा तथा इसका उल्लंघन सम्यक कानून के अंतर्गत दण्डनीय होगा।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

अनु0ः– यथोक्त।

विश्वासभाजन

20/10/2020

(कमल किशोर सोन)
सरकार के सचिव

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांकः–5 / स0भू0 बोकारो (मुकदमा)–86 / 2020....2957....(5) / रा0, दिनांक–20-10-2020

प्रतिलिपिः– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड / निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड / निदेशक, भू–अर्जन, भू–अभिलेख–सह–परिमाप निदेशालय, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/10/2020

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः–5 / स0भू0 बोकारो (मुकदमा)–86 / 2020....2957....(5) / रा0, दिनांक–20-10-2020

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

20/10/2020

सरकार के सचिव